

संख्या- ए. 20011/40/2019- हिन्दी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

खंड-9, कैं.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3

दिनांक- 10 मार्च, 2021

परिपत्र

विषय: हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना - वर्ष 2020 के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 22 फरवरी 2021 के पत्र संख्या 11024/01/2020-हिंदी और इसके अंतर्गत राजभाषा विभाग के दिनांक 18 फरवरी 2021 के पत्र सं. 12011/01/2021-रा.भा. (का.-2) की प्रति निदेशालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है।

2. निदेशालय के सभी अनुभागों/अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों से अनुरोध है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित उपर्युक्त योजना के व्यापक-प्रसार हेतु इसे अपने संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।



10.03.2021

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

संलग्नक : यथोपरि (सात पृष्ठ)।

प्रतिलिपि:

- ✓ 1. सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) -विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. नोटिस बोर्ड।
3. कार्यालय प्रति ।

956
23/2/21

लक्ष्मण विदेशक अनुभाग
Asstt. Director Section
क्र.सं. 195
दिनांक 24/2/21
Date

1/5

सं-11024/01/2020-हिन्दी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

स.नि.(प्रशा.) का निजी अनुभाग
JD(A) Personal Section
Dy. No.: 10
Dated: 24-02-21

एनडीसीसी-॥ भवन, आठवां तल,
नई दिल्ली -110001,
दिनांक: 22 फरवरी, 2021

सेवा में

22 FEB 2021

1. मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग
2. गृह मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
(संलग्न सूची के अनुसार)


विषय: हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2020

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 18 फरवरी, 2021 के पत्र सं.12011/01/2021-रा.भा.(का.-2) की प्रति सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

2. सभी नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे संलग्न पत्र में उल्लिखित उपर्युक्त योजना के व्यापक-प्रसार हेतु इसे अपने संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं।

संलग्नक: यथोपरि


भवदीय,



22/2/21
(राजन)


उप निदेशक (रा.भा.)
ई-मेल:dir_ol@mha.gov.in

JD (A)
24/2/21

~~सोनि (रा.भा.)~~


24/2/21


25.02.2021

हो भलगा से प्रस्तुत करें।



04-03-2021

हिन्दी अनुभाग
डायरी सं. 200
दिनांक 25/2/2021

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

* * *

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 19 फरवरी, 2021

कार्यालय जापन

विषय :- हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2020

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए चलाई जा रही निम्नलिखित पुरस्कार योजनाओं के लिए 01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित हैं।

1. केन्द्र सरकार के कर्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

पात्रता/शर्तें :

- पुस्तक के लेखक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों।
- सेवारत लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग के अध्यक्ष द्वारा संत्यापन तथा संस्तुति के साथ तथा सेवानिवृत्त लेखक अपनी प्रविष्टि पीपीओ की छाया प्रति संलग्न करके इस विभाग को सीधे भेजें। (प्रपत्र -1)

पुरस्कार :

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-

प्रथम पुरस्कार	-	₹1,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार-		₹75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	-	₹60,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

2. भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

विषय: पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा अथवा समसामयिक विषय पर लिखी हो सकती है।

उदाहरणार्थ:-

- इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि।
- समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि

पात्रता : भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है। (प्रपत्र-2)

पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	₹2,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	₹1,25,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	₹75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

3. उपर्युक्त दोनों योजनाओं के लिए साऱ्गन्य शर्तें :

- i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए।
- ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हो। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।
- iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। ऊपर विषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- iv) योजना के अंतर्गत 01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।
- v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी।
- vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
- vii) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सहलेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जायेगी।
- viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो।
- ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
- xi) केवल वे पुस्तकें जिन पर ISBN होगा, योजना के अंतर्गत शामिल की जाएंगी।

4. प्रविष्टि भेजने की विधि :

- i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे भरे हुए) के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें। पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी।
- iii) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है। प्रविष्टियां 01 मई, 2021 तक राजभाषा विभाग में पहुंच जानी चाहिए।

(4)

5. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा।

6. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:

- i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी।
- ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा।

7. सामान्य सूचना:

- i) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी (वातानुकूलित) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।
- iii) योजना के बारे में सूचना विभाग की वेबसाइट <http://rajbhasha.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

8. प्रविष्टि भेजने का पता:

उप निदेशक (का.)
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
फोन-011-23438143




(बी.एल.मीना)

निदेशक (का.)

दूरभाष 011-23438129

प्रति:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय/निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग- अनुरोध है कि इस योजना को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं ।
3. निदेशक, जन-संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना के संबंध में प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समुचित सूचना प्रचालित करें।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
5. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें।
6. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
7. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का. जा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।
8. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।



(राजेश श्रीवास्तव)

उप निदेशक (का.)

फोन : 23438143

केन्द्र सरकार के कार्मिकों(सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए
राजभाषा गौरव पुरस्कार - वर्ष 2020

1. पुस्तक का नाम- (हिंदी में)
(अंग्रेजी में).....
2. (i) लेखक/सहलेखक का पूरा नाम (हिंदी में).....
(अंग्रेजी में)
- (ii)पूरा पता(पिन कोड सहित).....
.....
.....
- (iii) दूरभाष..... फैक्स संख्या.....
- (iv) मोबाईल फोन नं.
- (v) ई-मेल(स्पष्ट अक्षरों में)
3. (i) प्रकाशक का नाम
- (ii) प्रकाशक का पूरा पता.....
- (iii) प्रकाशन का वर्ष.....
4. (i) क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें
- (ii) क्या पुस्तक के लेखक/सहलेखक को पिछले तीन वर्षों में राजभाषा विभाग की किसी भी पुस्तक लेखन योजना के अन्तर्गत कोई भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो वर्ष..... एवं पुरस्कार का ब्यौरा
5. (क)आधार नं.
- (ख) आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते संबंधी निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दें :
(i) जहां बैंक खाता है, उस शाखा का दूरभाष सहित पता -.....
(ii)बैंक खाता संख्या नं. (पूरा) -
- (iii)आई एफ एस सी कोड-
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि
(i) मैंपुत्र/पुत्री श्री भारतीय नागरिक हूँ ।
(ii) मैं केन्द्र सरकार अथवा उसके अधीन कार्यालय.....में कार्यरत हूँ /से सेवानिवृत्त हुआ हूँ ।
(iii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
(iv) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।
मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।
स्थान:.....
दिनांक:..... लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर.....
कार्यालय द्वारा सत्यापन/अग्रोषण :
प्रमाणित किया जाता है कि श्री इस कार्यालय में सेवारत/से सेवानिवृत्त हैं ।

(हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर)

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

प्रपत्र-2

भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए
राजभाषा गौरव पुरस्कार - वर्ष 2020

1. पुस्तक का नाम - (हिंदी में).....
(अंग्रेजी में).....
2. (i) लेखक/सहलेखक का नाम- (हिंदी में).....
(अंग्रेजी में).....
(ii) पूरा पता (पिन कोड सहित).....
.....
(iii) दूरभाष..... फैक्स संख्या.....
(iv) मोबाईल फोन नं.
(v) ई-मेल (स्पष्ट अक्षरों में).....
3. (i) प्रकाशक का नाम
(ii) प्रकाशक का पूरा पता.....
(iii) प्रकाशन का वर्ष.....
4. (i) क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें
- (ii) क्या पुस्तक के लेखक/सहलेखक को पिछले तीन वर्षों में राजभाषा विभाग की किसी भी पुस्तक लेखन योजना के अन्तर्गत कोई भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो वर्ष एवं.....
पुरस्कार का ब्यौरा
5. (क) आधार नं.....
(ख) आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते संबंधी निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दें :
(i) जहां बैंक खाता है, उस शाखा का दूरभाष सहित पता -.....
(ii) बैंक खाता संख्या नं. (पूरा) -.....
(iii) आई एफ एस सी कोड.....
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि
(i) मैंपुत्र/पुत्री श्री भारतीय नागरिक हूँ ।
(ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
(iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।
मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.....

दिनांक:.....

लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर.....

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए ।

